132

न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 235/2021

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कलोठ खुर्द, पंचायत समिति सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कलोठ खुर्द, पंचायत समिति सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. तहसीलदार, सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

– – प्रार्थी

बनाम

1. कुन्नीलाल ओला पुत्र गिरधारीलाल ओला, जाति जाट, निवासी कुलोठ खुर्द, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
2. सत्यवीर पुत्र सुरजाराम, जाति जाट, निवासी कुलोठ खुर्द, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. राजेन्द्र पुत्र देवकरण, जाति जाट, निवासी कुलोठ खुर्द, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
4. मूलचन्द महरानिया पुत्र रामनारायण जाति मेघवाल, निवासी कुलोठ खुर्द, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
5. सन्तोष पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति महाजन निवासी कुलोठ खुर्द, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

– – अप्रार्थीगण

– – –

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपील सं0 जीसीएमएस 2021/86 कुन्नीलाल ओला व अन्य बनाम जिला कलक्टर झुंझुनूं व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 की पालना करते हुए नवसृजित ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, पंचायत समिति सूरजगढ के भवन व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित अन्य समस्त राजकीय कार्यालयों के निर्माण हेतु ग्राम कुलोठ खुर्द स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं0 414 रकबा 48.88 किस्म बारानी मे से 1 हैक्टेयर भूमि आंवटित किये जाने बाबत अभ्यावेदन।

– – –

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री एन0एस0 चौहान – सरपंच ग्राम पंचायत, कुलोठ खुर्द की ओर से
2 एडवोकेट श्री श्रवण कुमार सैनी– तहसीलदार, सूरजगढ (राज0 सरकार) की ओर से
3 एडवोकेट श्री विनोद कुमार गिल– अप्रार्थीगण की ओर से

(133)

आदेश

दिनांक 11.01.2022

प्रार्थी के अनुसार अभ्यावेदन के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार वर्ष 2019 में 57 नई पंचायत समितियों एवं 1456 नई ग्राम पंचायतो का गठन नियमानुसार किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द भी एक नवसृजित ग्राम पंचायत है। उक्त सृजन से पूर्व ग्राम कुलोठ खुर्द ग्राम पंचायत महपालवास, पंचायत समिति सूरजगढ का एक हिस्सा था। उक्त नवसृजित ग्राम पंचायतो एवं पंचायत समितियों के कार्यालय भवन की व्यवस्था हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 13.03.2020, 20.05.2020 एवं 07.09.2020 जारी करते हुए समस्त जिला कलक्टरों को यह निर्देश दिया गया कि जिन ग्राम पंचायतो एवं पंचायत समितियों में कोई उपयुक्त सरकारी भवन कार्यालय प्रयोजनार्थ उपलब्ध नहीं है उनमें विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत नवीन भवनों का निर्माण करवाया जायेगा और इस हेतु जिन स्थानो पर रिक्त भवन उपलब्ध नहीं है वहां पर कार्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगभग 3 एकड़ भूमि आवंटित करवाने की कार्यवाही करावे। राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा–निर्देशो की पालना में पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत महपालवास की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 30.05.2020 में प्रस्ताव सं0 2 ग्राम विकास अधिकारी (प्रशासक) द्वारा सदन के समक्ष रखे गये इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया कि ''ग्राम पंचायत महपालवास के राजस्व ग्राम कुलाठ खुर्द नवसृजित ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया गया है जिसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय हेतु सभी कार्यालय स्थापित किये जाने है जैसे कि ग्राम पंचायत भवन, किसान सेवा केन्द्र, अतिथि विश्राम गृह, भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र, सहकारी गोदाम, स्वास्थ्य केन्द्र, पटवार घर, पशु स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजन इकाई इत्यादि और इसलिए राजस्व ग्राम कुलोठ खुर्द के खसरा नं0 414 में सिवायचक भूमि हिस्सा 1903/2429 रकबा 38.06 हेक्टयर में से 5 हेक्टयर भूमि आवंटित कर सिवायचक भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरण किया जावे।'' उक्त प्रस्ताव सं0 2 की प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को ग्राम पंचायत महपालवास द्वारा अपने पत्र क्रमांक 136 दिनांक 11.06.2020 को प्रेषित की। उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 30.05.2020 के अनुसरण में निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए कार्यालय तहसीलदार सूरजगढ द्वारा, राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमियो का आवंटन) नियम 1963 के तहत परिपत्र तैयार किया गया और अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2020/273 दिनांक 17.08.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को प्रेषित किया गया। इसके उपरान्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक पीए/2020/1097 दिनांक 18/19.08.2020 द्वारा श्रीमानजी को प्रेषित किया गया जिस पर निर्णय लेते हुए श्रीमानजी ने अपने आदेश दिनांक 07.09.2020 के द्वारा राजस्व ग्राम कुलोठ खुर्द के खसरा नं0

(134)

414 में स्थित सिवायचक भूमि में से 1 हैक्टयर भूमि उपरोक्त वर्णित राजस्थान भू–राजस्व आवंटन नियम 1963 के तहत आवंटित की। नवसृजित ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के सरपंच व वार्ड पंचो के चुनाव जनवरी 2020 में संपन्न किये जाने थे लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण जनवरी 2020 में राजस्थान राज्य के विभिन्न नवसृजित पंचायत समितियो व ग्राम पंचायतो के चुनाव संपन्न नहीं किये जा सके और उसके उपरांत कोरोना महामारी के कारण चुनाव स्थगित किये गये। इस प्रकार ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के चुनाव 28 सितंबर 2020 को संपन्न हुए जिसमें प्रार्थीनी श्रीमती रतना देवी सरपंच चुनी गई और उसने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी श्रीमती धर्मा पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण को हराया। इसके उपरांत श्रीमति धर्मादेवी का परिवार व उसके समर्थक प्रार्थीनी से दुर्भावना व रंजिश रखने लगे है और उन्होने यह धमकी दी थी कि वो प्रार्थीनी के कार्यकाल में ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द में किसी भी प्रकार का विकास कार्य व निर्माण शांतिपूर्वक तरीके से नहीं करने देगे व हर कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 07.09.2020 की अनुपालना में हल्का पटवारी ने उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 414 की सिवायचक भूमि में से 1 हैक्टेयर भूमि का सीमांकन कर उसका कब्जा ग्राम पंचायत को संभलवा दिया। इसके उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा अप्रैल 2021 में भूमि को समतल कर उसमें नीव रख कर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। लेकिन उक्त निर्माण कार्य को अवरूद्ध करने की मंशा रखते हुए दुर्भावनावंश श्रीमती धर्मा के समर्थको द्वारा जिसमें उसके ससुर श्री मूलचंद महराणियां भी शामिल है, ने अपील सं. 86/2021, कुन्नीलाल व अन्य बनाम कलक्टर झुंझुनूं व अन्य माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष श्रीमानजी के आवंटन आदेश दिनांक 07.09.2020 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की। उक्त अपील में अपीलार्थीगण द्वारा निराधार, असत्य एवं भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि आवंटित भूमि ग्राम से 2 किमी. की दूरी पर है तथा उसमें बिजली–पानी की सुविधा व समुचित आने–जाने का रास्ता नहीं है और गांव के कुछ लोग पंचायत कार्यालय हेतु भूमि दान करने के इच्छुक है। ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द द्वारा उक्त अपील का उत्तर अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया और उसमें यह विशेष रूप से उल्लेखित किया कि आवंटित भूमि ग्राम कुलोठ खुर्द की आबादी भूमि के बिल्कुल समीप ग्राम बेरला को जाने वाले मार्ग पर स्थित है और उसी खसरा नंबर में पहले से ही सरकारी नलकूप बोरिंग लगाया हुआ है और बिजली की व्यवस्था भी है। ग्राम कुलोठ खुर्द का कोई भी ग्रामवासी 1 हैक्टेयर भूमि दान देने को तैयार नही है और जिन तीन व्यक्तियो के नाम 2 बीघा भूमि दान में देने का वर्णन अपील में किया गया है उनकी खातेदारी में 1 हैक्टेयर तो दूर, 2 बीघा भूमि दर्शाये गये खसरा नंबरो में नहीं है। इसके अलावा किसी भी ग्रामवासी द्वारा भूमि का समर्पण आज दिनांक तक नही किया गया है और मात्र निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए उपरोक्त अपील पेश की गई थी। उत्तर में यह भी वर्णित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो दिनांक 13.03.2020, 20.05.2020 व 07.09.2020 के अनुसार 3

जिला कलक्टर झुन्झु

एकड भूमि की आवश्यकता है और उक्त क्षेत्रफल की भूमि कोई भी ग्रामवासी देने को तैयार नही है। अपील के उत्तर में यह भी वर्णित किया गया कि ग्राम कुलोठ खुर्द के विभिन्न खसरा नं0 198 से 203, 208, 220 से 223, 242, 243, 370, 371, 372, 490/100, 528/95, 76, 93, 94, 97 इत्यादि में कुल क्षेत्रफल 85.71 हैक्टेयर भूमि किस्म चारागाह स्थित है जो कि गायों और पशुओ को चराने के लिए उपयोग में ली जा रही है और लायी जा सकती है और इसके अलावा खसरा नं0 414 में 1 हैक्टेयर भूमि कम करने के उपरांत 37.06 हैक्टेयर सिवायचक भूमि किस्म बारानी उपलब्ध है। अपील के उत्तर के साथ उक्त परिपत्रों व निर्माण कार्य व मौका स्थिति के फोटोग्राफ्स की प्रतियां भी संलग्न की गई थी। दोनो पक्षो को सुनने के उपरांत माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 23.09.2021 के द्वारा उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए श्रीमानजी द्वारा पारित आवंटित आदेश दिनांक 07.09.2020 को निर्देश करते हुए यह निर्देशित किया है कि अपीलार्थीगण अपना अभ्यावेदन श्रीमानजी के समक्ष अविलंब प्रस्तुत करे और श्रीमानजी अपीलार्थीगण व अन्य व्यक्तियो द्वारा समर्पित की जाने वाली भूमि की उचित मात्रा एवं उपयोग की आमजन की सुविधा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में तीन माह में पुनः निर्णय पारित करे। इस प्रकार श्रीमानजी को उक्त प्रकरण में पुनः निर्णय करना है और आवंटन आदेश पुनः जारी करना है इस संबंध में निवेदन है कि आवंटन आदेश पुनः जारी करना है। इस संबंध में निवेदन है कि प्रार्थीगण को सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जावे और उनके द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये समस्त तथ्यों व दस्तावेजो को दृष्टिगत रखते हुए उचित निर्णय किया जावे और खसरा नं0 414 मे आंवटित उपरोक्त वर्णित भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के पक्ष में किया जावे ताकि पंचायत भवन व अन्य संबंधित राजकीय कार्यालयो का निर्माण किया जा सकें। राजस्थान खातेदारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के तहत एक खातेदार अपनी भूमि का समर्पण कर सकता है और इसके संबंध में उसे धारा 56 के तहत नोटिस भूमिधारक (राज्य सरकार) को देना होता है। लेकिन वर्तमान मामले में इस प्रकार का कोई नोटिस या भूमि का समर्पण किसी भी ग्रामवासी द्वारा नही किया गया है और मात्र हवाई बातें करते हुए कोर कल्पित तथ्य अपील में वर्णित किये गये कि तीन व्यक्ति जमीन दान में देने को इच्छुक हैं जबकि तथाकथित खातेदारो श्री मोहर सिंह, श्री हुक्मीचंद व श्री घनश्याम के खाता सं0 289 व खसरा नं0 165 में 2 बीघा भूमि खातेदारी में नही है और उक्त खातो की भूमि में लगभग 64 खातेदारो का नाम दर्शाये गये है जिसमें से लगभग 20–21 खातेदारो की मृत्यु हो चुकी है और उनके विधिक वारीसान की खातेदारी अभी तक दर्ज नही की गई है और भूमि का विधिवत तकासमा बंटवारा भी नही किया गया है। राज्य सरकार के उपरोक्त वर्णित परिपत्रों दिनांक 13.03.2020, 20.05.2020 व 07.09.2020 के अनुसार 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और उक्त क्षेत्रफल की भूमि कोई भी ग्रामवासी दान देने को तैयार नही है और न ही किसी प्रकार का समर्पण आज दिनांक तक किया गया

जिला कलक्टर झुन्झुनू

है व मात्र कोर कल्पित हवाई बाते, निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए की गई है। ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के समस्त ग्रामवासी यह आशा रखते हैं कि पंचायत भवन व अन्य कार्यालयो का निर्माण अविलंब श्रीमानजी द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2020 से आवंटित खसरा नं0 414 की भूमि पर ही हो जो कि सुविधाजनक, आबादी के नजदीक व बिजली–पानी की सुविधायुक्त है पर ही हो। इस प्रकार समस्त ग्रामवासी श्रीमानजी से यह अपेक्षा रखते है कि उन्हे उनके प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे और अविलम्ब खसरा नं0 414 की भूमि में से 3 एकड़ भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के पक्ष में किया जावे ताकि निर्माण कार्य पुनः आरंभ किया जा सके। यहां यह भी वर्णित किया जाना आवश्यक है कि आवंटित भूमि पर लगभग 1 लाख रूपये की निर्माण सामग्री पडी हुई है और भूमि निर्माण कार्य हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है जो कि संलग्न फोटोग्राफ्स से पूर्णत प्रमाणित है। अतः यह अभ्यावेदन प्रस्तुत कर श्रीमानजी से प्रार्थना है कि इस पर विचार किया जावे और प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व ग्राम कुलाठ खुर्द के खसरा नं0 414 में कम से कम 1 हैक्टेयर भूमि का आवंटन अविलंब करने का श्रम करें। अन्य कोई आदेश जो श्रीमानजी प्रार्थीगण के पक्ष में तथ्यो एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे पारित करने का कष्ट करे।

अभ्यावेदन व निर्णय दिनांक 23.09.2021 में वर्णित भूमि की बाबत तहसीलदार सूरजगढ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। तहसीलदार सूरजगढ ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/628 दिनांक 20.12.2021 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार ग्राम कुलोठ खुर्द की भूमि ख0न0 414 रकबा 48.88 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ मे से 1.00 हैक्टेयर भूमि का आंवटन नवसृजित ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द भवन हेतु हुआ है। उक्त आंवटित भूमि पर सरकारी भवन, ग्राम पंचायत भवन एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण होना है। उक्त आंवटित भूमि ग्राम कुलोठ खुर्द की आबादी से करीब 300 मीटर की दूरी पर है तथा आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। मौके पर इस भूमि के पास विघुत लाईन एवं कुआं बना हुआ है। उक्त भूमि पर सरकारी भवन, नवसृजित ग्राम पंचायत का भवन एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण होने से ग्रामवासियों कोई असुविधा नही होगी।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी सं0 1 (सरपंच ग्राम पंचायत, कुलोठ खुर्द) ने अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, पंचायत समिति सूरजगढ के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु जिला कलक्टर, झुंझुनूं के आदेश कमांक प0 12 (3)(4)राज/20 /3113 दिनांक 07.09.2020 द्वारा ग्राम कुलोठ खुर्द स्थित भूमि ख0न0 ख0न0 414 रकबा 48.58 हैक्टेयर मे से सिवायचक भूमि रकबा 38.06 हैक्टेयर किस्म बारानी–4 मे से 1.00 हैक्टेयर भूमि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(137)

ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, पंचायत समिति सूरजगढ के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु उपयुक्त है। उक्त भूमि ग्राम कुलोठ खुर्द की आबादी के समीप है एवं भूमि के मौके पर विघुत लाईन है एवं कुआ बना हुआ है। तहसीलदार सूरजगढ ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/628 दिनांक 20.12.21 के अनुसार उक्त भूमि ग्राम कुलोठ खुर्द की आबादी से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। मौके पर इस भूमि के पास विघुत लाईन है एवं कुआं बना हुआ है। उक्त भूमि पर सरकारी भवन, नवसृजित ग्राम पंचायत का भवन एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण होने से ग्रामवासियों को कोई असुविधा नही होगी। वकील अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के भवन निर्माण हेतु इच्छुक व्यक्ति (1) घनश्याम दास पुत्र रामूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी कुलोठ खुर्द, (2) मोहरसिंह पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी कुलोठ खुर्द, (3) महेन्द्र पुत्र रामजीलाल, जाति जाट, निवासी कुलोठ खुर्द द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों मे वर्णित भूमि दान संबंधी प्रस्ताव उचित नही है। उक्त शपथ पत्र दाताओं के हिस्से मे पर्याप्त जमीन नही है। जमीन का विधिवत् बंटवारा नही हुआ है। प्रस्तावित भूमि बैंक के रहन है। शपथ पत्र दाताओं के खाते की भूमि मे कई खातेदारों के निधन के कारण भूमि दान पर सहमति संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन स्वीकार कर जिला कलक्टर, झुंझुनूं के आदेश कमांक प0 12(3)(4)राज/20/3113 दिनांक 07.09.2020 के अनुसार आंवटित भूमि को ही ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु यथावत रखा जावे।

प्रार्थी सं0 3 (राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ) ने अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों को सही बताते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, पंचायत समिति सूरजगढ के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु जिला कलक्टर, झुंझुनूं के आदेश कमांक प0 12(3) (4)राज/20/3113 दिनांक 07.09.2020 द्वारा ग्राम कुलोठ खुर्द स्थित भूमि ख0न0 414 रकबा 48.58 हैक्टेयर मे से सिवायचक भूमि रकबा 38.06 हैक्टेयर किस्म बारानी–4 मे से 1.00 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, पंचायत समिति सूरजगढ के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु उपयुक्त है। तहसीलदार सूरजगढ ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/628 दिनांक 20.12.21 के अनुसार उक्त भूमि ग्राम कुलोठ खुर्द की आबादी से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। मौके पर इस भूमि के पास विघुत लाईन है एवं कुआं बना हुआ है। उक्त भूमि पर सरकारी भवन, नवसृजित ग्राम पंचायत का भवन एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण होने से ग्रामवासियों को कोई असुविधा नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन स्वीकार कर जिला कलक्टर, झुंझुनूं के आदेश कमांक प0 12(3)(4)राज/20/3113 दिनांक 07.09.2020 के अनुसार आंवटित भूमि को ही ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु यथावत रखा जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने दस्तावेज सूची किता 6 पेश कर वकील प्रार्थी सं0 1 व 3 कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के भवन निर्माण हेतु (1) घनश्यामदास पुत्र रामूराम, जाति ब्राह्मण, निवासी कुलोठ खुर्द, (2) मोहरसिंह पुत्र भूराराम, जाति जाट, निवासी कुलोठ खुर्द, (3) महेन्द्र पुत्र रामजीलाल, जाति जाट, निवासी कुलोठ खुर्द

19

जिला कलक्टर झुन्झु

(128)

शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द, पंचायत समिति सूरजगढ के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालयों हेतु पर्याप्त भूमि दान करने को तैयार है। इनके द्वारा दान की जाने वाली भूमि ग्राम कुलोठ खुर्द की आबादी के पास है। दान की जाने वाली भूमि रास्ते पर स्थित है। ग्राम पंचायत के भवन निर्माण एवं अन्य राजकीय कार्यालयों के निर्माण हेतु उक्त दानदाता पर्याप्त मात्रा मे भूमि दान को तैयार है। जिला कलक्टर, झुंझुनूं के आदेश क्रमांक प0 12(3)(4)राज/20/ /3113 दिनांक 07.09.2020 द्वारा आंवटित भूमि ख0न0 414 रकबा 48.58 हैक्टेयर मे से सिवायचक भूमि रकबा 38.06 हैक्टेयर किस्म बारानी–4 मे से 1.00 हैक्टेयर आबादी से दूर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन निरस्त कर एवं जिला कलक्टर, झुंझुनूं के आदेश क्रमांक प0 12(3)(4)राज/20/3113 दिनांक 07.09.2020 को निरस्त किया जाकर दानदाताओं द्वारा प्रस्तावित भूमि पर ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालयों का निर्माण करवाया जावे।

हमने बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण एवं वकील विद्वान अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत शपथ पत्रों, माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय तथा तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रकरण में निम्न तथ्य स्पष्ट है। यथा :–

1. विद्वान संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णय दिनांक 23.09.2021 में निर्देशित किया गया है कि अपीलार्थीगण न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू के समक्ष अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे तथा जिला कलक्टर न्यायालय अपीलार्थीगण व अन्य व्यक्तियों द्वारा समर्पित की जाने वाली भूमि की उचित मात्रा एवं भूमि के उपयोग की आमजन की सुविधा इत्यादि को ध्यान में रखते हुऐ पुनः निस्तारण करें। न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि सरपंच ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द पंचायत समिति सुरजगढ़ अर्थात रेस्पोडेन्ट एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दिनांक 12.11.2021 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सूरजगढ़ को पत्रांक पाठक/प्रा.प. अभ्यावेदन/2021/3622 दिनांक 15.11.2021 द्वारा प्रकरण की वर्तमान स्थिति के संबंध में अवगत कराने हेतु लिखा गया गया था। तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2021/628 दिनांक 20.12.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम कुलोठ खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 48.88 हैक्टर किस्म बारानी चतुर्थ में से 1.00 हैक्टर भूमि का आवंटन नवसृजित ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द भवन हेतु होना बताया है। जिसमें सरकारी भवन, ग्राम पंचायत भवन एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण होना प्रस्तावित है। तहसीलदार सूरजगढ़ ने इस आवंटित भूमि को ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द की आबादी से करीब 300 मीटर दूरी व आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होना अंकित किया है तथा यह भी अंकित किया है कि भूमि के पास विद्युत लाईन व कुआं बना हुआ है। उक्त आंवटित भूमि पर सरकारी भवन, ग्राम पंचायत भवन एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण होने से कोई असुविधा नहीं होगी। अपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार द्वारा नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी संलग्न कर प्रेषित की है।

जिला कलक्टर झु

2. श्री कुन्नीलाल वगैरह द्वारा विद्वान संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णय दिनांक 23.09.2021 का हवाला देते हुए तीन वैकल्पिक भूमियों बाबत शपथ प्रस्तुत किये है। जिसमें प्रथम शपथ में श्री धनश्यामदास पुत्र रामुराम जाति ब्राहम्ण निवासी कुलोठ खुर्द द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 5.74 हैक्टर में से 29/492 हिस्सा अपना होना बताते हुये भूमि को दान देने हेतु तैयार होना बताया है। श्री धनश्यामदास का जमीन में हिस्सा 0.3300 हैक्टर है, जो भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा जिसका रिकार्ड व मौके पर विभाजन नहीं हुआ है। दुसरे शपथ पत्र में श्री महेन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कुलोठ खुर्द द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 15 व 3 कुल रकबा 6.99 हैक्टर में अपना हिस्सा 1/3 बताया है। इसमें संभावित दानदाता का हिस्सा 2.33 हैक्टर है तथा भूमि अलग – अलग खसरा नम्बरान की है। यह भूमि मौके व रिकार्ड में विभाजित नहीं है तथा तीसरे शपथ पत्र में श्री मोहरसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी कुलोठ खुर्द द्वारा कुल 5 खसरे कुल रकबा 6.73 हैक्टर भूमि में अपना हिस्सा 1579/22100 वां हिस्सा होना बताया है। जिसके अनुसार विभिन्न खसरा नम्बर व विभिन्न स्थलों पर उसका हिस्सा 0.48 हैक्टर आता है, जो एक हैक्टर से कम है। यह भूमि भी अविभाजित भूमि है तथा एक जगह स्थित नहीं है। अतः दान में दिये जाने हेतु भूमि का मौके व रिकार्ड में विभाजन आवश्यक है। विभाजन के बाद भूमि की उपयुक्तता पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी कुंन्नीलाल, मूलचंद वगैरह के द्वारा दान हेतु बताई गई तीनों भूमियां राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 13.03.2020, 20.05.2020 तथा 07.09.2020 में अंकित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगभग 3 एकड़ भूमि यथासंभव मुख्य सड़क के पास होने की शर्तो की पालना नहीं करती है। उक्त तीनों भूमियों की मात्रा व उपयोगिता पर विचार किया जाना उचित नहीं है। क्योंकि इस से ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए भूमि का आपसी बंटवारा आवश्यक है तथा भूमि का ग्राम पंचायत को दान की कार्यवाही भी पूर्ण होनी है। उक्त तीनों प्रस्तावों में मौके से ग्राम पंचायत की आबादी से दूरी का अंकन भी नहीं है।

3. प्रकरण में आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासी है, जिन्होने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकन किया है कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 13.03.2020, 20.05.2020 तथा 07.09.2020 में अंकित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगभग 3 एकड़ भूमि यथासंभव मुख्य सड़क के पास होने के निर्देश दिये है। विद्वान वकील ने यह भी अंकित किया कि अप्रार्थीगण कुन्नीलाल वगैरह द्वारा जो दान हेतु तीन भूमियों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये है वह राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त निर्देशों के शर्तो की पालना नहीं करते है। क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा दान हेतु बताई जा रहीं भूमिया संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिनका विभाजन आवश्यक है। विभाजन करवाने हेतु काफी अधिक समय लगेगा जिससे ग्राम पंचायत के भवनों के निर्माण में अनावश्यक देरी होगी। अतः अप्रार्थीगण द्वारा दान हेतु शपथ पत्रों में अंकित की भूमियों के प्रस्ताव को निरस्त किया

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

जावें। उन्होने दौराने बहस यह भी बताया की यह संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में प्रतिनिधित्व अपील प्रस्तुत की गई है जबकि उस दौरान ग्राम पंचायत में सरपंच का चयन हो चुका था। जिसको जमीन आंवटन में कोई समस्या नहीं थी व वर्तमान में है। उन्होने यह भी बताया की वर्तमान सरपंच श्रीमती रतना देवी के विरूद्ध निकटतम प्रतिद्वन्दी श्रीमती धर्मा देवी थी। उनके ससूर श्री मूलचन्द महराणियां ने राजनैतिक द्वेषवश ग्राम पंचायत के विकास कार्यों एवं ग्राम पंचायत के भवनों के निर्माण में देरीना कराने हेतु यह अपील इत्यादि प्रस्तुत की है।

4. कुन्नीलाल, मुलचंद वगैरह के विद्वान वकील द्वारा अपने तर्क के समर्थन में अन्य ग्राम पंचायत हेतु एक हैक्टर से कम जमीन को कलेक्टर द्वारा दिये जाने का उदाहरण देते हुये उनके मुवक्किलों के द्वारा पेशकर्दा दान आशय के शपथ पत्रों में से किसी भी शपथ पत्र में अंकित जमीन को दान हेतु स्वीकार करने हेतु तर्क दिया लेकिन इन शपथ पत्रों में अंकित जमीन सहकाश्तकारों से बंटवारा करवाना आवश्यक है। जबतक बंटवारा नहीं होता है तब तक प्रत्येक सहकाश्तकार का जमीन के प्रत्येक इंच पर कब्जा है। बिना बंटवारा किये हुये जमीन को दान हेतु स्वीकार किया जाना संभव नहीं है।
5. प्रार्थी ने तर्क दिया है कि तहसीलदार सूरजगढ़ की नवीनतम रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 में भूमि को उपयुक्त माना है। पंचायत भवन हेतु प्रस्तावित भूमि में पानी के नलकुप व मन्दिर तथा ग्राम पंचायत की आबादी से 300 मीटर की दूरी पर स्थित होना माना है। ग्राम कुलोठ खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 48.88 हैक्टर में से आवंटित भूमि 1 हैक्टर उपयुक्त भूमि है। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 20.12.2021 व राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 13.03.2020, 20.05.2020 तथा 07.09.2020 के अनुसार वर्तमान आंवटित जमीन पंचायत भवन एवं अन्य भवनों हेतु उपयुक्त है।
6. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन स्वीकार किया जाकर श्री कुन्नीलाल वगैरह द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि परिवर्तन के प्रार्थना पत्र/दावो को निरस्त किया जाता है तथा इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक प. 12(3)(4)राज/20/3113 दिनांक 07.09.2020 द्वारा ग्राम कुलोठ खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 48.58 हैक्टर किस्म बारानी–4 में से 1.00 हैक्टर भूमि जो नवसृजित ग्राम पंचायत कुलोठखुर्द को भवन एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित अन्य समस्त राजकीय कार्यालयों हेतु आंवटन की गई थी को यथावत रखा जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार सूरजगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.01.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनूं
11/01/22